न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/199

1. नाथूलाल आत्मज चंदा आयु 77 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. बाबूलाल आत्मज चंदा आयु 70 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. रतना आत्मज कालूलाल जाति चमार मृतक जरिये का0 मु0
   2/1. भगवान पुत्र रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   2/2. रामनाथी बेवा रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   2/3. सूशीला पुत्री रतना पत्नि रामप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम विनायका जिला कोटा राज0।
   2/4. राजकरन्ता पुत्री रतना पत्नी सत्यनारायण जाति चमार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   2/5. विमला बाई पुत्री रतना पत्नी रघुवीर जाति चमार निवासी ग्राम गेगची तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
3. हीरालाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4. बृज मोहन आत्मज कालूलाल मृतक जर्ये का0 मु0–
   4/1. मनोज कुमार आत्मज बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   4/2. ऋतु कुमारी पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   4/3. नीतू पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील संख्या– 2021/200

1. नाथूलाल आत्मज चंदा आयु 77 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. बाबूलाल आत्मज चंदा आयु 70 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. रतना आत्मज कालूलाल जाति चमार मृतक जरिये का0 मु0
   2/1. भगवान पुत्र रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   2/2. रामनाथी बेवा रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   2/3. सूशीला पुत्री रतना पत्नि रामप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम विनायका जिला कोटा राज0।
   2/4. राजकरन्ता पुत्री रतना पत्नी सत्यनारायण जाति चमार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   2/5. विमला बाई पुत्री रतना पत्नी रघुवीर जाति चमार निवासी ग्राम गेगची तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
3. हीरालाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4. बृज मोहन आत्मज कालूलाल मृतक जर्ये का0 मु0–
   4/1. मनोज कुमार आत्मज बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   4/2. ऋतु कुमारी पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   4/3. नीतू पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री धीरेन्द्र मालव – अधिवक्ता अपीलांट की ओर से दोनों अपीलों में
2. श्री मुकेश खारोल – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 01 से 04/03 की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय **दिनांक 26.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर दीगोद के प्रकरण संख्या 52/2015 मे पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री तथा दूसरी अपील अंतिम निर्णय व डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण रेस्पो0 व प्रतिवादीगण अपीलांट के शामलाती खातेदारी की ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नं0 1154 की 0.88, खसरा नं0 1155 की 0.74, खसरा नं0 37 की 1.65, खसरा नं0 64 की 0.43, खसरा नं0 65 की 0.33, खसरा नं0 69 की 0.09, खसरा नं0 91 की 0.71, खसरा नं0 92 की 0.62, खसरा नं0 624 की 0.18, खसरा नं0 627 की 0.16, खसरा नं0 956 की 0.87, खसरा नं0 956/2146 की 0.26, खसरा नं0 1838 की 0.38, खसरा नं0 1839 की 0.82, खसरा नं0 1930 की 0.40 एवं खसरा नं0 1944 की 0.67 कुल 16 किता की 09.19 हैक्अयर आराजी स्थित है जिसमें वादीगण रेस्पो0 व प्रतिवादीगण अपीलांट का समान 1/2 हिस्सा है। मोत्याबाई बेवा चन्दाजी व धन्नी बेवा कालू जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने से उन्नत कृषि में परेशानी आती है तथा प्रतिवादीगण सहयोग नहीं करते है। इसलिए विवादित आराजी का विभाजन किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 15.06.2015 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से सहमति से भूमि का बंटवारा करने की कहने पर प्रतिवादीगण के इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ। अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जे के अनुसार विधिवत अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण का पृथक से खाता कायम किया जावे तथा कब्जा दिलवाया जावे और साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को विभाजन में प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण 01 व 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तथा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 23.05.2016 में लोक अदालत कैम्प कोटडा दीपसिंह में प्रकरणाधीन भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन किए जाने के आदेश दिए गए। और साथ ही तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिसके फलस्वरूप आदेशिका

दिनांक 05.07.2016 के अनुसार तहसीलदार दीगोद से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दोनों पक्षकारान बंटवारे से सहमत है। फलस्वरूप वाद में दिनांक 04.08.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दो पृथक अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 निरस्त किये जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04/03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी रेस्पो0 द्वारा अपीलांटगण को दिनांक 02.10.2021 को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने व दावा डिक्री हो जाने की कहने पर हुई तथा कहा कि उक्त भूमियां उसके खाते दर्ज हो चुकी है। इस पर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर दावा की पत्रावली की तलाश की और दिनांक 04.10.2021 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री व फाइनल डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 08.10.2021 को नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार दिनांक 23.05.2016 से दिनांक 02.10.2021 तक की अवधि व नकल के दिन तथा रूपयों के इंतजाम में लगे दिन का कन्डौन की जाकर अपील अवधि मध्य पेश की गई है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई विलंब अवधि को क्षम्य कर उक्त दोनों अपीलों को अवधि मध्य स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 विधि न्याय व संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं हुआ इसके बावजुद भी बिना सहमति के फोरी तौर पर वाद को स्वीकार कर शामलाती खाते की भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्से व कब्जे अनुसार

विभाजन किये जाने हेतु निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से के अनुसार मौके पर विशेष खसरा नं0 पर कब्जा चला आ रहा है। इसके बावजूद दावा वादीगण का दावा डिक्री कर प्रारंभिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जो भूमि वादीगण रेस्पो0 01 लगायत 04 को विभाजन में खसरा नं0 37 व खसरा नं0 91 का पूरा रकबा की भूमि दी गयी है जबकि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है, और खसरा नं0 1838 की 0.38 हेक्टयर भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है जिसे रेस्पो0 को विभाजन में नहीं दिया जा सकता। फिर भी उक्त भूमि रेस्पो0 को दी गयी है। इस कारण भी निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। विभाजन के वाद में शामलाती खाते की भूमि का सभी खातेदारों के मध्य मीट व बाउन्स के आधार पर विभाजन किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर निर्णय व डिक्री जारी करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में फाइनल डिक्री दिनांक 04.08.2016 को जारी कर दी जिसके आधार पर वादीगण रेस्पो0 नं0 01 लगायत 04 द्वारा राजस्व रिकार्ड में इंतकाल खुलाकर गलत रूप से भूमियां जो अपीलांटगण के कब्जे काश्त में है, को अपने नाम दर्ज करवा लिया है और उसके आधार पर रेस्पो0 कम 01 लगायत 04 अपीलांटगण को बैदखल करने व भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा हैं। जिसको रोका जाना आवश्यक है। अपीलांट सीधे–साधे व्यक्ति है। इन्होंने ऐसे ही हस्ताक्षर कर दिये। वकील साहब ने भी नहीं बताया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत Citation:2022(2) DNJ (Rev.) 1523 व आर. आर. टी. 2022(2) पेज 975–978 पेश किया। अन्त मे दोनों अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04.08. 2016 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

8. अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस मे लिखित जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट द्वारा मियाद बाहर पेश की गयी है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 को पारित हुई हैं। अपीलांट को तथ्य की पूर्ण जानकारी थी। अपीलांट द्वारा विभाजन के पश्चात् पृथक खाते पर बैंक से ऋण भी प्राप्त किया गया है। मियाद के बिन्दू पर 3 दिन का विलंब भी ग्रहण योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2010 (2) पेज 801 व 802 पेश किये और कहा कि अपीलांट को बंटवारे की जानकारी थी। अपीलांट द्वारा पृथक खाते पर बैंक से ऋण भी लिया गया है। सन् 2018 में अपील मियाद बाहर है। अपील पोषणीय है। मियाद बाहर अपील पेश करना यानी जानकारी के बाद भी वाद/अपील पेश करने में देरी क्षमा योग्य नहीं मानी जा सकती। व्यर्थ के वादों/अपीलों को पेश कर न्यायालय का समय व्यर्थ करना अपील इज ड्यूडिकेटा से बाधित है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2018(2) पेज नं0 1112–1117 पेश किया। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीले खारिज फरमाने का निवेदन किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23. 05.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटगण व अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आई. एल. आर. पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2016 नायब तहसीलदार के पत्र दिनांक 22.06. 2016 से अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई। जो पत्रावली में संलग्न है। नकल जमाबंदी संवत् 2067–2070 ग्राम कोटड़ा दीपसिंह के अनुसार खसरा नं0 1154 की रकबा 0.88 व खसरा नं0 1155 की रकबा 0.74 हेक्टेयर भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि नाथूलाल बाबूलाल पिता चन्दा व मोत्या बाई बेवा चन्दा, भैरया, रत्ना, बृज मोहन, हीरा वल्द कालू जाति चमार साकिन देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2067–2070 के अनुसार खसरा नं0 37 की 1.65, खसरा नं0 64 की 0.43, खसरा नं0 65 की 0.33, खसरा नं0 69 की 0.09, खसरा नं0 91 की 0.71, खसरा नं0 92 की 0.62, खसरा नं0 624 की 0.18, खसरा नं0 627 की 0.16, खसरा नं0 956 की 0.87, खसरा नं0 956/2146 की 0.26, खसरा नं0 1838 की 0.38, खसरा नं0 1839 की 0.82, खसरा नं0 1930 की 0.40 एवं खसरा नं0 1944 की 0.67 हेक्टेयर भूमि कुल किता 14 कुल रकबा 7.57 हैक्टेयर भूमि पर भैरया, रत्ना, बृज मोहन, हीरा पुत्र कालू, धन्नी बेवा कालू हिस्सा 1/2 नाथूराम, बाबूलाल पूत्र मोत्या बाई बेवा चन्दा हिस्सा 1/2 जाति चमार साकिन देह हिस्सा बराबर मय खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.08.2015 में अंकित है कि प्रतिवादी नं0 01 व 02 की तरफ से अभिभाषक श्री सी. एल. गोचर ने वकालतनामा पेश किया। अर्थात् अपीलांट प्रतिवादी सं0 01 व 02 अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.08.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो गये थे। आदेशिका दिनांक 23.05.2016 के अनुसार पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोटड़ा दीपसिंह में प्रस्तुत हुई। आदेशिका में स्पष्ट अंकन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित है। आदेशिका दिनांक 23.05.2016 में अंकित है कि "पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोटड़ा दीपसिंह में पेश हुई। वदीगण व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित है। वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53–188 RTA पेश कर विभाजन चाहा गया है। लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत होने पर पक्षकारान में इस बात पर सहमति स्वरूप पक्षकारान ने आदेशिका पर हस्ताक्षर दिये। परिमाणतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रकरणाधीन भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते कोरियजात रिपोर्ट दिनांक 03.06.2016 को पेश हो।" इस आदेशिका पर अपीलांट प्रतिवादीगण 01 व 02 नाथूलाल व बाबूलाल के हस्ताक्षर अंकित हैं। आदेशिका दिनांक 05.07.2016 इस प्रकार है, "पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। TDR दीगोद से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो पत्रावली के साथ संलग्न है। दोनों पक्षकारान बंटवारे से सहमत है। अतः निर्धारित रसूम पेश करने पर पत्रावली में अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.08.2016 को पेश हो।" आदेशिका दिनांक 05.07.2016 पर भी प्रतिवादी सं0 01 व 02 अपीलांटगण के हस्ताक्षर अंकित है तथा आदेशिका में बंटवारे प्रस्ताव पर सहमत होना बताया गया है। न्यायालय हाजा में भी अपीलांटगण का कथन है कि उन्होंने उपस्थिति के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किये है। परंतु आदेशिका दिनांक 23.05.2016 व 05.07.2016 पर इनकी सहमति अंकित की गयी है। अपीलांट ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2016 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 22.10.2021 को पेश की है।

इस प्रकार अपीलांट ने अंतिम डिक्री के विरूद्ध लगभग 5 वर्ष 02 माह 18 दिन पश्चात् अपील पेश की है। अपीलांट प्रतिवादीगण के अभिभावक तथा स्वयं अपीलांट को प्रारंभ से अधीनस्थ न्यायालय में संपूर्ण कार्यवाही की प्रारंभ से ही समुचित जानकारी थी। अपीलांट द्वारा धारा 05 लिमिटेशन एक्ट में किया गया कथन कि उन्हें 02.10.2021 को इसकी जानकारी हुई, विश्वसनीय नहीं है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा सं0 2354/1154 से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा सन् 2018 में बैंक से लोन भी लिया गया है। अतः अपीलांट द्वारा धारा 05 लिमिटेशन एक्ट में किये गये कथन असद्भावी एवं मिथ्या प्रतीत होते हैं। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। हम अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से विलंब के बिन्दू पर सहमत है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया गुणावगुण पर भी देखने में प्रतीत होता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी सहमति दी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उसी अनुसार निर्णय पारित कर प्रारंभिक डिक्री व उसके बाद अंतिम रूप से डिक्री जारी की। अतः हमारे विनम्र मत में प्रस्तुत अपील संख्या 2021/199 एवं 2021/200 गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः अपील संख्या 2021/199 एवं 2021/200 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं । चूँकि धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दोनों अपीलों पर आगे और गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपील संख्या 2021/199 एवं 2021/200 को गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2021/199 एवं अपील संख्या 2021/200 दोनों गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के प्रकरण संख्या 52/2015 मे पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकार
कोटा(राज0)

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/199

1. नाथूलाल आत्मज चंदा आयु 77 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. बाबूलाल आत्मज चंदा आयु 70 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. रतना आत्मज कालूलाल जाति चमार मृतक जरिये का0 मु0
   2/1. भगवान पुत्र रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   2/2. रामनाथी बेवा रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   2/3. सूशीला पुत्री रतना पत्नि रामप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम विनायका जिला कोटा राज0।
   2/4. राजकरन्ता पुत्री रतना पत्नी सत्यनारायण जाति चमार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
   2/5. विमला बाई पुत्री रतना पत्नी रघुवीर जाति चमार निवासी ग्राम गेगची तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
3. हीरालाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4. बृज मोहन आत्मज कालूलाल मृतक जर्ये का0 मु0–
   4/1. मनोज कुमार आत्मज बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   4/2. ऋतु कुमारी पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
   4/3. नीतू पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

1. भैरूलाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. रतना आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. हीरालाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. बृजमोहन आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।मृतक जर्ये कायम मुकान–

   4/1. मनोज कुमार आत्मज बृजमोहन जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

   4/1. ऋतु कुमारी पुत्री बृजमोहन जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

   4/1. नीतू पुत्री बृजमोहन जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–वादीगण

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज चंदा जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. बाबूलाल आत्मज चंदा जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा(राज0)।

––प्रतिवादीगण

अपील संख्या : 2021/200

1. नाथूलाल आत्मज चंदा आयु 77 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. बाबूलाल आत्मज चंदा आयु 70 वर्ष जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. भेरूलाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. रतना आत्मज कालूलाल जाति चमार मृतक जरिये का0 मु0

2/1. भगवान पुत्र रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

2/2. रामनाथी बेवा रतना जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

2/3. सूशीला पुत्री रतना पत्नि रामप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम विनायका जिला कोटा राज0।

2/4. राजकरन्ता पुत्री रतना पत्नी सत्यनारायण जाति चमार निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

2/5. विमला बाई पुत्री रतना पत्नी रघुवीर जाति चमार निवासी ग्राम गेगची तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।

3. हीरालाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

4. बृज मोहन आत्मज कालूलाल मृतक जर्ये का0 मु0–

4/1. मनोज कुमार आत्मज बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

4/2. ऋतु कुमारी पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

4/3. नीतू पुत्री बृज मोहन जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 52/2015

1. भैरूलाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. रतना आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. हीरालाल आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. बृजमोहन आत्मज कालूलाल जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।मृतक जर्ये कायम मुकान–

4/1. मनोज कुमार आत्मज बृजमोहन जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

4/1. ऋतु कुमारी पुत्री बृजमोहन जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

4/1. नीतू पुत्री बृजमोहन जाति चमार निवासी ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–वादीगण

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज चंदा जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. बाबूलाल आत्मज चंदा जाति चमार निवासीगण ग्राम कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा(राज0)।

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 52/2015 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद, जिला कोटा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.05.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.08.2016 के विरूद्ध उक्त अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.05.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.08.2016** त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपीलें स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपीलें तारीख 26.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों में विद्वान् अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 , 2, 3, 4/1 से 4/3 की ओर से दोनो अपीलों में श्री मुकेश खारोल अभिभाषक, उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीले गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से अपील संख्या 2021/199, एवं 2021/200 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.05.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.08.2016** बहाल रखे जाते है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 26.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा